न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय–सह–विशेष न्यायालय,सीवान।

भगवानपुर हाट थाना कांड सं. 116/2021

21.08.2021 भगवानपुर हाट थाना कांड सं. 116/2021 अंतर्गत धारा 341,323,504,506,34 भा.दं.वि. एवं धारा 3(i)(r)/3(2)(va) अनु.जा.ज.जा. (अ.उ.) अधिनियम के अभियुक्त भगेलू यादव आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किये। इनकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर इनके विद्वान अधिवक्ता श्री इष्टदेव तिवारी एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री भागवत राम को सुना एवं अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार श्रीनिवास राम का मुख्य रूप से आरोप है कि दिनांक 07.06.2021 को 06:00 बजे शाम में भगेलू यादव के घर सूचक मजदूरी का पैसा मॉगने गया तो भगेलू यादव गुस्सा होकर सूचक का गला दबा दिया और लात घुसा से पेट में मारने लगा तथा जातिसूचक गाली गलौज किया। उसके बाद भगेलू यादव का बेटा राजकुमार यादव आया और वह भी लात घूसा से मारकर अधमरा कर दिया। सूचक अपना इलाज भगवानपुर अस्पताल में कराया। इलाज के कारण मुकदमा करने में विलम्ब हुआ है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। इनका यह भी तर्क है कि इस काड की प्राथमिकी दो दिनों के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और विलम्ब का कोई वैध कारण नहीं दर्शाया गया है। इनका यह भी तर्क है कि जिस तरह की घटना बतायी गयी है वैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है बल्कि सच्चाई यह है कि आवेदक सूचक के लडके के खाते में डेढ़ लाख रूपया कर्ज के रुप में दिया है जब आवेदक अपने उक्त पैसे की मांग करने लगा तब नाराज होकर आवेदक का पैसा हड़पने के उद्देश्य से सूचक ने गलत आरोप के साथ यह मुकदमा दाखिल किया है। इनका यह भी तर्क है कि आवेदकगण एवं सूचक पड़ोसी हैं तथा आवेदक के विरूद्ध अनु.जा.ज.जा. अधिनियम का कोई मामला नहीं बनता है और अन्य आरोपित धारायें जमानतीय है। अतः उक्त के आलोक में इन्हें जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा इनके विरूद्ध मजदूरी का पैसा मांगने को लेकर अनुसूचित जाति के सदस्य सूचक को जातिसूचक गाली गलौज कर मारपीट करने का स्पष्ट आरोप है। इनका आगे कथन है कि कांड दैनिकी में स्वतंत्र साक्षियों ने मजदूरी के पैसो को लेकर झगड़ा एवं धक्का मुक्की होने की बात कही है। सूचक के जख्म को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति के होने का मंतव्य दिया है।

उपरोक्त तर्को, तथ्यों, परिस्थितियों, सूचक के जख्म को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति के होने का मंतव्य देने, जमानत आवेदन के कंडिका 3 के अनुसार कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने का किये गये कथन को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त आवेदक अभियुक्त को मो0 10,000/रुपये के बंधपत्र समान राशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर इन्हें जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

ह0/

विशेष न्यायाधीश, सीवान।